

प्रेषक,

अभिषेक सिंह द्वितीय  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,  
खाद्य एवं रसद विभाग  
30प्र0लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 28 मई, 2018

विषय- सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-2803/आ0वि0शा0/स्था0/नीति-539/2016, दिनांक 22 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश दिनांक 29-3-2018 के प्रस्तर-8 में यह प्राविधानित है कि समस्त स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक पूर्ण कर लिये जाये। उल्लेखनीय है कि रबी विपणन वर्ष 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत निर्गत गेहूं क्रय नीति विषयक शासनादेश दिनांक 21-3-2018 के प्रस्तर-5.1 के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में गेहूं क्रय अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से 15 जून, 2018 तक निर्धारित की गयी है। वर्तमान में गेहूं क्रय का कार्य अपनी चरम सीमा पर है एवं कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु शासन प्रतिबद्ध है।

3- अतएव उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर विचारोपरान्त खाद्य तथा रसद विभाग के विपणन शाखा के कार्मिकों के विभागाध्यक्ष स्तर पर स्थानान्तरण की समय-सीमा वर्ष 2018-19 में दिनांक 30-06-2018 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अभिषेक सिंह द्वितीय)  
विशेष सचिव।

संख्या-उपरोक्त तददिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0राज्य मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 2- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अपर आयुक्त, विपणन, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर राय)

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।